जल बिरादरी

34 / 46 किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर–302020,
0141–2393178, 01465–225043, 09414066765

राजेन्द्र सिंह,
मैग्सेसे अवार्डी

Email: watermantbs@yahoo.com
jalpurushtbs@gmail.com

गंगा सरंक्षण हेतु मांग पत्र

राष्ट्रीय ध्वज, पशु पक्षी, जीव आदि प्रतीक की भांति 'गंगा–एक राष्ट्रीय नदी' के रूप में घोषित एवम् संरक्षित हो। प्रदेश भी अपनी एक मुख्य नदी को 'प्रादेशिक नदी' के रूप में घोषित एवम् संरक्षित करें। केंद्र व प्रदेश अपनी क्रमशः राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक नदी नीति बनायें।

1. गंगा के भू–उपयोग व स्वामित्व में कभी भी..........किसी भी प्रकार का भू–परिवर्तन वैधानिक तौर पर मान्य न हो।
2. गंगा नदी विशेष हेतु विशेष पारिस्थितिकीय प्रवाह के मानक निर्धारित हो और हर स्थिति में उसकी पालना सुनिश्चित करने की व्यवस्था बने।
3. गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार, स्थानीय समुदाय, पंचायत, नगरपालिका व स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को जोड़कर नदीवार निगरानी इकाइयों का गठन एवम् उन्हे कार्रवाई के वैधानिक अधिकार दिए जाएं।
4. गंगा के प्रदूषण नियंत्रण की जबाबदेही तय करें। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी व मौतों के मामलों के न सिर्फ प्रदूषकों, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जबाबदेह नियंत्रण तंत्र के खिलाफ भी दीवानी अदालतों के मुकादमा चलाने की प्रावधान दो। आखिरकार किसी की हत्या करने वाला सिविल कोर्ट में सिर्फ जुर्माना भरकर कैसे बच सकता है।
5. गंगा में मैला डालना एक बड़ा प्राकृतिक अपराध है। अतः यह सुनिश्चित हो कि ग्राम पंचायते, नगर निगम व पालिका अपने सीवेज कचरे को शोधित करके भी गंगा में कदापि न डालें। पूरे देश में जल शोधन की एक जैसी प्रणाली कारगर नही हुई है। अतः स्थानीय परिस्थिति के अनुसार स्थानीय समाधान व संसाधन को प्राथमिकता दें।
6. गंगा नदी के सर्वोपरि बाढ़ बिन्दु के दोनो ओर कम से कम 300 मी. चौड़े क्षेत्र को व्यापक स्तर पर हरी घास तथा स्थानीय जैवविविधता का सम्मान करने वाली वनस्पति के सघन क्षेत्र के रूप में संरक्षित एवम् संवर्द्धित किया जाए।
7. सरकार जनसहमति से गंगा के ऊपरी, मध्य व निचले छोरों में पानी की प्रकृति व उपलब्धता के अनुसार बसावट, उद्योग व खेती की सीमा व प्रकार का निर्धारण हो।

आपका

(राजेन्द्र सिंह)